संख्याः– 348 / I I(2)–2020–04(03)/2018, टी0सी0– I

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 27 मार्च, 2020**

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में नाबार्ड वित्त पोषित नहर निर्माण मद के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–691/प्र0अ0/बजट/बी–1 (पुनर्विनियोग), दिनांक 16 मार्च, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर सौंग बांध परियोजना मद में सम्भावित बचत रू0 1000.00 लाख का पुनर्विनियोग संलग्न विवरणानुसार **(बी0एम0–9 का प्रपत्र/परिशिष्ट–1)**जनपद देहरादून में जाखन नदी पर निर्माणाधीन सूर्यधार बैराज योजना से सम्बन्धित मद में कराते हुए रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित/निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5- जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6- प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....02

8- कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

10- आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत क्रमशः लेखशीर्षक–4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें–051–निर्माण–98–नाबार्ड पोषित–01–नहरों का निर्माण (4700078000203 से स्थानान्तरित)–24–वृहत् निर्माण कार्य मद नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–284/XXVII(1)/2020, दिनांक 27 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न– बी0एम–9 (पुनर्विनियोग प्रपत्र) एवं परिशिष्ट–1

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्याः– 348 / I(2)–2020–04(03)/2018,टी0सी0– I,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कोलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
5. वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः.....3

परिशिष्ट—1

शासनादेश सं0— 343 / II(2)—2020—04(03)/2018,टी0सी0— I, दिनांक 27 मार्च,2020 का संलग्नक

अनुदान सं0—20(नाबार्ड वित्त पोषित)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0स0	योजना/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019—20 में पुनर्विनियोग उपरान्त उपलब्ध बजट प्रावधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	नहर निर्माण 4700-06-051-98-01-24	12954.78	1000.00
	योग	**12954.78**	**1000.00**

(रू0 दस करोड़ मात्र)

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।